

कार्यालय-अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक: 10.05.2018

--: आदेश:--

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह जून-2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य- अवधि
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	04.06.18 से 08.06.18
2	पीठ-1, इलाहाबाद	पीठ-1 व 2 इलाहाबाद	11.06.18 से 13.06.18
3	पीठ- बरेली	पीठ- बरेली	04.06.18 से 08.06.18
4	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	04.06.18 से 08.06.18
5	पीठ- गोरखपुर	पीठ- गोरखपुर	04.06.18 से 06.06.18
6	पीठ- झांसी	पीठ- झांसी	18.06.18 से 22.06.18
7	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	04.06.18 से 08.06.18
8	पीठ-1, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	18.06.18 से 22.06.18
9	पीठ- फैजाबाद	पीठ- फैजाबाद	14.06.18 से 16.06.18
10	पीठ-1, मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	18.06.18 से 20.06.18
11	पीठ- मुरादाबाद	पीठ- मुरादाबाद	18.06.18 से 22.06.18
12	पीठ- मुजफ्फरनगर	पीठ- मुजफ्फरनगर	11.06.18 से 15.06.18
13	पीठ-1, नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	04.06.18 से 08.06.18
14	पीठ- 1, वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	25.06.18 से 29.06.18

ह0-10.5.18

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

प्रभारी निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।